REET 2025
LEVEL-1&2
वंदन बैच
POLITY
जिला प्रशासन
LIVE
10-02-2025 07:00 PM

REET POLITY

जिला प्रशासन का विकास

निम्न में से जिला प्रशासन कि सबसे छोटी ईकाई क्या है?

(A) जिला (B) संभाग

(C) तहसिल **(D) पटवार व्रतांत**

देश
↓
राज्य
↓
संभाग
↓
जिला → उपखण्ड | तहसिल → पटवार वृतांत

REET POLITY

काल	जिले के समकक्ष इकाई	अधिकारी
वैदिक काल	शतग्राम	शतग्रामी
मौर्य काल	अहारा	स्थानिक
गुप्त काल	विषय	विषयपति
मुगल काल	सरकार	आमिल
ब्रिटिश काल	डिस्ट्रिक्ट / जिला	कलेक्टर

REET POLITY

- ब्रिटिश काल में डिस्ट्रिक्ट शब्द का प्रथम प्रयोग ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा सन् 1776 में कलकत्ता जिले के दीवान के संदर्भमें किया था।
- भारत के संविधान में 'जिला' शब्द केवल अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है।

नोट-

'डिस्ट्रिक्ट' एक लेटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है --'न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया क्षेत्र।'

REET POLITY

जिला प्रशासन की विशेषताएँ

- जिला प्रशासन, स्थानीय क्षेत्रों व राज्य प्रशासन के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
- जिला प्रशासन का मुखिया जिला कलेक्टर होता है जो जिला स्तर पर सभी विभागों का नियंत्रक व समन्वयक होता है।
- प्रत्येक जिला प्रशासन एक संभाग की इकाई होती है। संभाग पर संभागीय आयुक्त नामक अधिकारी का नियत्रंण रहता है।

REET POLITY

जिला प्रशासन का संगठनात्मक ढांचा

क्षेत्रीय व जिला प्रशासन संगठनात्मक व्यवस्था
(राजस्थान राज्य के सन्दर्भ में)

↓

सम्भागीय आयुक्त

↓

(नियंत्रण व पर्यवेक्षणकर्ता)

↓

जिला कलेक्टर

- जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी
- अतिरिक्त जिला (प्रशासन) कलेक्टर
- अतिरिक्त जिला कलेक्टर (विकास)

REET POLITY

जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी
↓
जेल प्रशासन (जिला जेल अधिकारी)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)
↓
कानून व व्यवस्था (पुलिस प्रशासन)
↓
पुलिस अधीक्षक (IPS)
↓
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP)
↓
उप पुलिस अधीक्षक (DSP)
↓
सर्किल निरीक्षक (CI)
↓
निरीक्षक (Inspector)
↓
उप निरीक्षक (SI
↓
मुख्य कांस्टेबल (H.C.
↓
कांस्टेबल

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (विकास)
↓
राजस्व प्रशासन (IAS)
↓
उपखण्ड(उपखण्ड अधिकारी) (SDM)
↓
तहसील (तहसीलदार)
↓
पटवार क्षेत्र (पटवारी)

नोट-

- पूरे जिले को विकास खंडो में बांटने का कार्य जिला प्रशासन का न होकर राज्य प्रशासन का होता हैं।

REET POLITY

संभागीय आयुक्त

- 1949 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने संभागीय आयुक्त व्यवस्था शुरू की। 1962 में राजस्थान विधानसभा में एक मत व्यक्त किया गया की संभागीय आयुक्त महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में विलम्ब का कारण बनता है तथा इससे अनावश्यक प्रशासनिक व्यय होता है। अतः 1962 में ही मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा राजस्थान में संभागीय आयुक्त का पद समाप्त करके इसके कार्यो को जिला कलेक्टर व राजस्व मण्डल में विभक्त कर दिया गया।

REET POLITY

- जिला स्तर पर बढ़ते कार्यभार के परिणामस्वरूप 1987 में हरीदेव जोशी सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया।

प्रारम्भ - १९४९ → हीरालाल शास्त्री

समाप्त - १९६२ → मोहन लाल सुखाड़िया

पुनःस्थापित → 1987 → हरीदेव जोशी

संभागीय आयुक्त कार्यालय का संगठन

संभागीय आयुक्त

↓

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,

↓

उप-निदेशक

↓

राजस्व लेखा निरीक्षक

↓

अन्य राजस्व, सांख्यिकी एवं सामान्य प्रशासनिक कार्मिक

संभागीय आयुक्त की नियुक्ति

- संभागीय आयुक्त के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इस पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। संभागीय आयुक्त का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है।

REET POLITY

संभागीय आयुक्त के कार्य -

- न्यायिक कार्यों के अन्तर्गत संभागीय आयुक्त को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1) च तथा 76 (ग) के अनुसार राजस्व अपीलीय प्राधिकारी माना गया है।
- संभागीय आयुक्त जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों की बैठक आयोजित करके जिलों के प्रशासन पर नियंत्रण रखता है।
- यह अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करता है।

REET POLITY

- यह स्थानीय इकाइयों का आकस्मिक निरीक्षण या पूर्व निर्धारित दौरे करता है।
- यह जिले के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्यों को सम्पादित करता है।
- यह जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (ए.सी.आर.) भरता है तथा राजस्व प्रशासन के कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेश भी संभागीय आयुक्त द्वारा जारी किये जाते है।

ACR

REET POLITY

- निम्न कानूनों से संबंधित वाद संभागीय आयुक्त के अन्तर्गत आते है-

1. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम
2. राजस्थान भूमि-भवन कर अधिनियम
3. राजस्थान नगरीय भूमि हदबंदी अधिनियम
4. राजस्थान धार्मिक भवन तथा स्थान अधिनियम
5. राजस्थान आबकारी अधिनियम
6. राजस्थान वन अधिनियम

REET POLITY

जिला कलेक्टर

- भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ई. में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने किया था।
- स्वतंत्रता से 1988 तक इस पद को जिलाधीश के रूप में जाना जाता था लेकिन अब औपचारिक रूप से इसको जिला कलेक्टर नाम से जाना जाता है।

जिला कलेक्टर की नियुक्ति

- जिला कलेक्टर की नियुक्ति के संबंध में दो प्रणालियाँ प्रचलित है -

1. **पहली प्रणाली** - भारतीय प्रशासनिक सेवा (I.A.S.) में -नवनियुक्त व्यक्ति को।
2. **दूसरी प्रणाली** - राज्य प्रशासनिक सेवा (R.A.S.) के वरिष्ठ व अनुभवी अधिकारी को, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा वर्ग में पदोन्नत हुआ है।

प्रमोशन

- नोट- राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना वर्ष 2009 में की गई।

REET POLITY

जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका

- जिले में सरकार की आँख, कान तथा बाहों की भांति जिला कलेक्टर कार्य करता है।

1. राजस्व अधिकारी के रुप में भूमिका

- जिला कलेक्टर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका राजस्व अधिकारी (Revenue Officer) के रुप में होती है। उसे सरकार की भूमि का स्वामी माना जाता है। उसकी इसी भूमिका के कारण उसे 'कलेक्टर' (एकत्रित करने वाला) कहा जाता है।
- इस प्रकार जिला कलेक्टर जिला स्तर पर राजस्व एकत्र करने के लिए उत्तरदायी होता है।
- जिला कलेक्टर को भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व संबंधी व्यापक अधिकार व शक्तियाँ प्रदान की गई है।

REET POLITY

2. प्रशासक के रूप में

- जिला प्रशासन के मुखिया के रूप में जिले की प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखता है।
- प्रशासन के विरूद्ध जनता की शिकायतों की उचित सुनवाई तथा कार्यवाही करता है।

3. दंडनायक के रुप में भूमिका

- जिला कलेक्टर जिला दंडनायक के रुप में कार्य करता है, अतः जिला कलेक्टर को जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) भी कहा जाता है। जिला कलेक्टर पुलिस, जेल तथा न्यायिक क्षेत्र के कार्यों को संपादित करवाता है।

REET POLITY

☐ दंडनायक के रुप में जिला कलेक्टर के दायित्व -

1. कानून व व्यवस्था बनाए रखना।
2. जिला पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखना।
3. साम्प्रदायिक दंगों, उग्र प्रदर्शनों पर नियंत्रण रखना।
4. विदेशियों के पारपत्र (Visa) की जाँच करना।
5. जाति, निवास तथा अन्य प्रमाण पत्र जारी करना।
6. जिला कारागृह/जेल का निरीक्षण करना।
7. धारा 144 के अंतर्गत शांतिभंग के मामलों की सुनवाई करना।
8. शस्त्रालयों पर नियत्रंण रखना।
9. तस्करी, नशीली दवा व्यापार तथा आतंकवादी गतिविधियों पर नियत्रंण रखना।

जिला निर्वाचन अधिकारी के रुप में भूमिका

- जिले में लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय नगरीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व जिला प्रशासन का है।
- जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिले के अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग से जिले में इन चुनावों को संपन्न करवाता है।
- जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश रिटर्निंग ऑफीसर कहलाता है।

अन्य कार्य

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष (आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित) जिला कलेक्टर होता है।
- जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर करता है।
- जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है।
- जिले में किसी बड़े पदाधिकारी के आगमन पर सुरक्षा प्रबंध संबंधी प्रोटोकाल कार्य का दायित्व जिला कलेक्टर का होता है।
- जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय व नियंत्रण का कार्य करता है।

REET POLITY

जिलाधीश के बारे में कथन

- रजनी कोठारी ने जिलाधीश को 'संस्थागत करिश्मा' कहा है।
- रेम्जे मेक्डोनल्ड ने 'जिलाधीश की तुलना एक कछुए से की है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है।'
- के.के. दास ने कहा कि जिलाधीश के समान न तो कोई अधिकारी हुआ है और न ही होगा।
- भारतीय स्टेच्युटरी कमीशन प्रतिवेदन 1930 के अनुसार 'जिलाधीश को एक अधिवक्ता, एक लेखाविद्य, एक सर्वेक्षणकर्ता तथा राज्यपत्रों का तैयार लेखक होना चाहिए।'

नोट- राजस्थान में जिला कलेक्टर का औसत कार्यकाल 14.2 महिने है।

उपखण्ड प्रशासन

- उपखण्ड के प्रमुख अधिकारी को उत्तरप्रदेश व राजस्थान में एस.डी.ओ. या एस.डी.एम., तमिलनाडु में उपजिलाधीश तथा महाराष्ट्र में प्रान्त अधिकारी का नाम दिया गया है।
- अधिकतर राज्यों में उपखण्ड अधिकारी जिला एवं तहसील प्रशासन के बीच की कड़ी है।

UPPCS

RPSC
RAS
RPS

उपखण्ड अधिकारी की नियुक्ति

- उपखण्ड अधिकारी के पद पर प्रायः राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के अधिकारी को लगाया जाता है।
- उपखण्ड अधिकारी के कुछ पद तहसीलदार के पदों से पदोन्नति के माध्यम से भी भरे जाते है।
- भर्ती एवं प्रशिक्षण की दृष्टि से उपखण्ड अधिकारी एक सामान्यज्ञ पद है।

उपखण्ड अधिकारी के कार्य -

- उपखण्ड अधिकारी को उपखण्ड क्षेत्र में व्यवस्था कायम करने के लिए दण्डनायक की शक्तियां दी गई हैं। इस कारण उसे एस.डी.एम. कहा जाता है।
- उपखण्ड अधिकारी राजस्व के संदर्भ में प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के समकक्ष है। नागरिकों के बीच के राजस्व मामले यदि तहसीलदार सुनता है तो उसमें अपील के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को दिये गये हैं।

REET POLITY

कानूनगो

- पटवारी तथा राजस्व निरीक्षकों (गिरदावर) के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही की शक्तियां दी गई हैं।
- राजस्थान भू-राजस्व नियमों के अनुसार, वह प्रत्येक तहसील में सदर कानूनगो के अभिलेखों का 1/5 भाग प्रतिवर्ष स्वयं देखता है।
- उपखण्ड अधिकारी निर्वाचन की दृष्टि से पंजीयन अधिकारी होता है।

REET POLITY

- वह मतदाता सूची को नवीनतम बनाये रखता है। नये मतदाताओं के नाम दर्ज करना, मतदाता न रहने पर नाम हटाना आदि इसी अधिकारी की देख रेख में होते हैं।
- यह लोकसभा चुनाव के लिए उपचुनाव अधिकारी तथा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी होता है।
- उपखण्ड में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सर्वेक्षण करवाने का दायित्व उपखण्ड अधिकारी का होता है।

SDM → प्रशिक्षण ↓ OTS जयपुर

तहसील प्रशासन

- तहसीलदार तहसील में राज्य का अभिकर्त्ता होता है।
- प्रत्येक तहसील पर एक तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है जो राजस्थान तहसील सेवा (RTS) का अधिकारी होता है।
- तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मण्डल द्वारा की जाती है।
- इन पद हेतु लगभग 18 माह का प्रशिक्षण राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, टोंक में दिया जाता है।

राजस्व मण्डल - अजमेर

तहसीलदार के कार्य -

- यह राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व संबंधी मुकदमे सुनने का कार्य करता है।
- लगान के अतिरिक्त तकाबी ऋण, गत वर्षों के बकाया तथा अन्य सरकारी वसूलियों की अन्तिम जिम्मेदारी तहसीलदार की है।
- भूमि संबंधी रिकॉर्ड तैयार करवाना।

REET POLITY

- सम्पत्ति के क्रय-विक्रय के पंजीयन के दौरान तहसीलदार उपपंजीयक अधिकारी होता है।
- उपभोक्ता वस्तुओं जैसे - चीनी, सीमेंट, मिट्टी का तेल आदि के राशनिंग की जिम्मेदारी तहसीलदार की होती है।
- अकाल, अनावृष्टि, बाढ़, महामारी आदि परिस्थितियों में सहायता पहुंचाने का दायित्व तहसीलदार का होता है।